

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2) (ए) के प्रावधानानुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंषानुसार पे मैट्रिक्स के लेवल-16 में प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष एवं (गुप-डी-1A) की वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित कार्मिक के चयन का निर्णय राजस्थान असेनिक सेवार्थ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण बन्द लिफाफे में रखा गया था।


निम्नांकित कार्मिक के विरुद्ध चल रही उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही इस कार्यालय के आदेश दिनांक 22.11.2018 द्वारा समाप्त किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1A/डीपीसी/बन्द लिफाफा/प्रधानाचार्य/2016-2017 से 2018-19/बो-2 दिनांक 08.01.2019 द्वारा चयन किये जाने पर शिक्षा सेव के निम्नांकित प्रधानाचार्यों को उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	वरिष्ठता	कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन
3	313-1/ 2008-09	RAJENDRA SINGH, LEC-HINDI	15-01-1972	S.S.A. TONK	GOVT SR SEC SCHOOL, BHAWANI, JAMWA RAMGARH, JAIPUR

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हों तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल absecsecedu@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित प्रधानाचार्य नियत तिथि दिनांक:- 18.01.2019 तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी (संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल सूचित करेंगे।

संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त के साथ ही इसका इन्द्राज शालादर्पण में आवश्यक रूप से करेंगे। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।


(निथमल डिंडेल)


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45002/डीपीसी/ 18-19/पदस्थापन/द्वितीय/2018

दिनांक:- 14.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(गुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
05. आयुक्त, समसा, जयपुर
05. संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर/अजमेर (प्रारम्भिक/माध्यमिक) समस्त मण्डल।
06. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, टौंक/जयपुर
07. संबंधित संस्था प्रधान।
08. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को प्राबन्ध किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निदेशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे।
09. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभासी बो-3
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)